न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 66 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. निम्बाराम पुत्र अचलाराम	बनाम	1.सांवताराम पुत्र चिमाराम जाति
2. रिड़मलराम पुत्र अचलाराम		विश्नोई निवासी जाम्भाजी का मंदिर
3. दुर्गाराम पुत्र अचलाराम		खारी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
4. गंगाराम पुत्र अचलाराम		
5. शिवजीराम पुत्र अचलाराम जाति दर्जी निवासी जाम्भाजी का मंदिर, खारी तहसील धोरीमन्ना व जिला बाड़मेर।		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 487 / 2015 बअनवान सांवताराम बनाम निम्बाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.05. 2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री श्यामलाल सिंघल रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 05.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस की खातेदारी का खेत ग्राम जाम्भाजी का मंदिर, पटवार क्षेत्र खारी तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 152 रकबा 22.10 बीघा का आया हुआ है तथा रेस्पोडेंट ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 202 / 128 रकबा 40.11 बीघा खेत से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। रेस्पोडेंट के लिए अन्य सुलभ रास्ता मौजूद है तो अपीलांटस के खेत को ट्रेस पास नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई उस मौका रिपोर्ट पर अपीलांटस के कोई हस्ताक्षर / अंगुष्ठ नहीं है। पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, द्वेष पूर्ण एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में लिखा गया है निर्णय मजमे आम में सुनाया गया मजमे आम में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हाजिर नही तो आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट के लिए अन्य सुलभ रास्ता मौजूद है तो अपीलांटस के खेत को ट्रेस पास नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई उस मौका रिपोर्ट पर अपीलांटस के कोई हस्ताक्षर/अंगुष्ठ नहीं है। पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण, द्वेष पूर्ण एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में लिखा गया है निर्णय मजमे आम में सुनाया गया मजमे आम में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट हाजिर नही तो आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुद खेत ग्राम जाम्भाजी का मंदिर पटवार क्षेत्र खारी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 202/128 रकबा 40.11 बीघा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.07.2017 को हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन की व्याख्या स्पष्ट करनी होती है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत दोनों नक्शा ट्रेस (पी. 35 क्रमांक 9367 दिनांक 27.07.2019 तथा 8615 दिनांक 17.07.2017) का अवलोकन किया। अपीलांट पक्ष का कथन है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खेत में पहुंच हेतु ग्राम बाछली के खसरा संख्या 391/125 रास्ता नजदीक उपलब्ध है। प्रदत्त रास्ते की लंबाई और सुझाए गए विकल्प के रास्ते की दूरी में <u>अत्यधिक फर्क</u> है। दोनों रास्ते पृथक–पृथक ग्रामों में स्थित है। <u>अपीलाधीन निर्णय से प्रदत्त रास्ता न्यूनतम दूरी वाला और आत्यांतिक आवश्यकता के आकलन पश्चात तय किया गया है।</u> अपीलांट को उनके अपने खेत सीमा के सहारे–सहारे रास्ता <u>दिये जाने बाबत प्रस्ताव दिया गया वह भी वे मानने के लिए तैयार नहीं है। अन्य कोई वैकल्पिक एवं न्यूनतम दूरी का रास्ता रिकॉर्ड मुताबिक उपलब्ध नहीं है</u> यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.06.2016 से स्पष्ट है। रास्ते हेतु अपने–अपने खेतों में काश्तकारों ने भूमि समर्पित की है। इस समर्पित भूमि से नजदीकी सड़क तक रास्ता अपीलांटस के खेत में से सीधा एवं न्यूनतम दूरी वाला प्रस्तावित किया गया है जो नितांत सही है। तहसीलदार (भू.अ.) धौरीमन्ना के पत्र/भू.अ./2016/33 दिनांक 13.06.2016 में इस रास्तों बाबत टिप्पणी इस प्रकार है–"प्रार्थी सांवताराम वल्द चिमाराम ने विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 152 में से कटाण एवं सड़क तक पहुंचने हेतु संलग्न नक्शें में दर्शाये मुजब बरंग लाल प्रस्तावित है। इसके अलावा खसरा संख्या 202/126 के खातेदार सांवताराम को रास्ते का कोई नजदीक सुलभ विकल्प नहीं है। लिहाजा रेस्पोडेंट/प्रार्थी के लिए प्रदत्त कानूनी अधिकारों के उपयोग के तहत उसे रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के मद्देनजर न्यूनतम दूरी का अपीलाधीन निर्णय में प्रदत्त एकमात्र सर्वोतम उपलब्ध विकल्प चुना जाकर निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दिया है। इस निर्णय में किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय में प्रदत्त रास्ते का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जा चुका है।

अतः लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 487/2015 बअनवान सांवताराम बनाम निम्बाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2017 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवाकर सुचारू करे।

5/8/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner